



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267172
CG-DL-E-27102025-267172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 679]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2025

फा. सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई.(II)—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना फा. सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई.(II), दिनांक 9 सितंबर, 2025 के तहत प्रकाशित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2025 के अंग्रेजी संस्करण में:

(i) अनुसूची के भाग I में, पृष्ठ संख्या 4 और 5 पर, कॉलम (1) में,

'17 से 32' के स्थान पर

'1 से 16' पढ़ा जाए।

(ii) तथा अनुसूची के भाग II में, पृष्ठ संख्या 5 पर, कॉलम (1) में,

'4 से 6' के स्थान पर

'1 से 3' पढ़ा जाए।

जयंत सिंह, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./413/2025-26]

LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 13th October, 2025

F. No. E-14011/3/2024/LPAI.(II).—In the English version of the Land Ports Authority of India (Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Regulations, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification F. No. E-14011/3/2024/LPAI.(II) dated 9th September, 2025:

(i) On page Nos 4 & 5 in Part I to the Schedule under Column(1)

for

'17 to 32'

read

'1 to 16'

(ii) And on page 5 in Part II to the Schedule under Column (1)

for

' 4 to 6'

read

'1 to 3'

JAYANT SINGH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./413/2025-26]